हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये
01/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 से 4 उपस्थित। उभय वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र रु. 100 रु. के भा.मु.ना. स्टाम्प पत्र पर राजीनामा व धनराशि लेनदेन का प्रस्तुत किया। वादी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पंचगणों का राजीनामा हो गया है जो न्यायालय में पेश किया है, जिस कारण वाद ग्रस्त भूमि में तय औपचारिताएं पूर्ण की जाने के कारण वादी अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र को मौजूदा स्तर पर राजीनामा के बिंदु हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित हैं। अतः वादी की प्रार्थना के आधार पर वादी को वाद विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद पत्र वादी विड्रा आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादी अधिवक्ता निवेदन किया कि वाद के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रा.पत्र 42RTA 22/2023 (2023/108) में यथास्थिति के आदेश पारित किए गए थे वो भी निरस्त किया जावे। अतः प्र.सं. 22/2023 यथास्थिति में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय के साथ स्वतः ही निरस्त हो गई है। पत्रावली फैसले में समय होकर दाखिल दफ्तर हो।	बंसीधर अनिल मुनी देवी मु. निर्मला देवी (कालूराम) हरीशचन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:22:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner